

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :-01 / भू0आ०नि० (3) विविध- (बटा नम्बर)-12 / 2021...1712

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०स००
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
जमुई एवं बांका।

पटना, दिनांक :-18-06-2021

प्रसंग:-

बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई का पत्रांक-235 दिनांक-14.06.2021

विषय :-

अनेक अंचलों के राजस्व ग्रामों का खतियान टोलावार थाना नं० बटा में अंकित रहने के कारण एक ही खेसरा नं० का एक से अधिक टोलों में रहने के कारण MIS Software में खेसरा दर्ज नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासादिक विषयक के संबंध में कहना है कि-

1. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया में सर्वेक्षण की इकाई राजस्व ग्राम एवं थाना नं० होता है। परंतु जमुई, बन्दोबस्त कार्यालय के पत्र में टोलों का नाम के साथ तथ्यों को अंकित किया गया है, जो वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है।
2. जमुई बन्दोबस्त कार्यालय के पत्र से जो विसंगति प्रतिवेदित है, वह निम्न प्रतीत होता है:-

(क) एक ही राजस्व ग्राम के नाम के अलग-अलग खतियान है, जिनका थाना नं०-1, 1/2, 1/3 आदि है।

साथ ही प्रत्येक उक्त राजस्व ग्राम जो थाना नं०-1, 1/2, 1/3 आदि थाना नं० के साथ है, का नवशा अलग-अलग है अर्थात् प्रत्येक नवशा खेसरा नं०-1 से शुरू होकर अंतिम तक है।

(ख) कुछ राजस्व ग्राम का मानचित्र एक से अधिक चादर में है। साथ ही प्रथम दो चादर अर्थात् चादर संख्या-1 एवं 2 में क्रमवार से खेसरा संख्या-1 से प्रारंभ होकर चादर संख्या-2 में अंतिम खेसरा है। साथ ही यह भी परिलक्षित होता है कि उसी राजस्व ग्राम के चादर संख्या-3 और 4 में पुनः खेसरा संख्या-1 से प्रारंभ होकर चादर संख्या-4 में अंतिम खेसरा है।

जमुई, बन्दोबस्त कार्यालय के पत्रानुसार उक्त कारणों से एम०आ०ई०एस० सॉफ्टवेयर में इंद्राज में कठिनाई हो रही है।

3. जमुई, बन्दोबस्त कार्यालय के पत्र में वर्णित अन्य तथ्य स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं।

इस आलोक में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त प्रासादिक पत्र में जो तथ्य प्रेषित किये गये हैं, के संदर्भ में सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी तथा मामले से संबंधित कागजातों के साथ सभी तथ्यों की समीक्षा की जाय ताकि वस्तुस्थिति सुस्पष्ट हो सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित के समरूप मामला बांका जिले में भी है, ऐसा विभिन्न बैठकों से स्पष्ट होता है।

उक्त के आलोक में बैठक से पूर्व प्रश्नगत मामले से संबंधित कागजातों एवं तथ्यों का संकलन जमुई, बंदोबस्त कार्यालय एवं बांका, बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से अपेक्षित है। कागजातों एवं तथ्यों का सुस्पष्ट संकलन की सूचना प्राप्त होने पर अविलंब बैठक निदेशालय स्तर पर आयोजित की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि बैठक में आने से पूर्व निम्न कागजातों एवं तथ्यों का संकलन कर अविलंब संसूचित किया जाय ताकि बैठक की तिथि निर्धारित की जा सके:-

- (i) विषयाकित मामले से संबंधित राजस्व ग्रामों में कम-से-कम 5 राजस्व ग्रामों के खतियान के प्रथम 20 पृष्ठों की पठनीय प्रति तथा सभी संबंधित मौजों के आर०एस०/सी०एस० नक्शा के सभी चादरों को उपलब्ध कर लिया जाय और बैठक में इसके साथ लाना है।
- (ii) एम०आई०एस० के डाटा इंट्री में जो असुविधा है एवं कठिनाई है, उसे स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए इसके समाधान का प्रस्ताव के साथ बैठक में भाग लिया जाना है।
- (iii) विषयाकित मामले के समाधान हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव के साथ बैठक में भाग लिया जाना अपेक्षित होगा।

विश्वासभाजन

(जय०सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01 / भू०अ०नि० (3) विविध (बटा नम्बर)-12 / 2021.1.2. पटना, दिनांक 18-06-2021

प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01 / भू०अ०नि० (3) विविध (बटा नम्बर)-12 / 2021.1.2. पटना, दिनांक 18-06-2021

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01 / भू०अ०नि० (3) विविध (बटा नम्बर)-12 / 2021.1.2. पटना, दिनांक 18-06-2021

प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम०आई०एस० डाटा एनालिस्ट, आई०टी०रोल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप